तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/12/2021	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस वकील उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज, रेस्पोडेन्टस के जवाब का अध्ययन कर मनन किया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस वकील की बहस तर्कों पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत म्यूटेशन अपील राजस्व रेकर्ड में पुश्तैनी भूमि में तमाम वारिसान के नामान्तरकरण के अनुरूप इन्द्राज से संबंधित है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की नकलें लेने पर दिनांक 08-02-2020 को हुई। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश में रहने वाली अनपढ़ महिला है। व ग्राम पंचायत चारणवाड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 170 स्वीकृत करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपील पेश करने में हुये विलम्ब को उक्त कारणों से क्षम्य कर अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना न्यायसंगत होने से विलम्ब को क्षम्य कर अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कम है। [illegible] दी इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.12.31 14:50:42 IST
Reason: SelfAttested